



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



शपथ-पत्र

(प्रारूप-"अ")

GH 163012

04 JUL 2023

हम डा0 मंजरी एवं डा0 प्रदीप कुमार क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव इंस्टीट्यूट ऑफ इन्व्वायरमेंट एण्ड मैनेजमेंट पता अल्कापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् वयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा आई0ई0एम0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सन 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।

Sworn & Verified  
Before Me

AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill. Dauli, Dist. Allahabad  
Adampur, Janki, Lucknow

2. यह कि हमारी सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्व्वायरमेंट एण्ड मैनेजमेंट के प्रस्तावित आई0ई0एम0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, बाराबंकी में गाटा संख्या 1293 द एवं हेक्टेयर कुल रकबा 4.99 एकड़ रकबा कमशः 2.01 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1293 द रकबा कमशः 4.99 एकड़ में से कुल रकबा 2 एकड़ / 0.80 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 04/03/2022 द्वारा पारित किया गया है।

Maujani

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।



*Amrish Kumar*

**Sworn & Verified  
Before Me**

**AMRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill. Devi Ganj, Ayalaz  
Adampur, Janubi, Lucknow

*Mangam*

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। मेरी की गयी विश्विक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



*Ambrish Kumar*  
ह.० न.दासचिव

*Maryam*  
ह.० अध्यक्ष

*Maryam*

Sworn & Verified  
Before Me

AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill. Devi Gali, Distt.  
Azamgarh, Jharkhand

I know and identify the deponent who  
has signed/put his name before me.